

श्री दीपक आनन्द, सचिव, खेल विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक—
07.08.2026 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 10:30 बजे संपन्न प्रशाखा-02 की समीक्षात्मक
बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग।
2. श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, खेल विभाग।
3. श्री उमाकान्त प्रसाद, अवर सचिव, खेल विभाग।
4. श्री सपज्ञा ओमीड, सहायक निदेशक (योजना), खेल विभाग।
5. श्री श्रेया पुष्कर, सहायक निदेशक—सह—जनसंपर्क पदाधिकारी।
6. श्री रंजन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
7. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा), खेल निदेशालय।
8. श्री सोनू कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
9. श्री विकास शर्मा, वरीय सचिवालय सहायक, खेल विभाग।

I. सर्वोच्च प्राथमिकताएँ

(1) बजट

(क) वित्तीय वर्ष 2026—27 अन्तर्गत विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि निम्न प्रकार से है

(रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	विषय शीर्ष	कुल कर्णांकित राशि	कुल व्यय राशि	शेष राशि	अभ्युक्ति
01	आओ खेलो एवं विभाग द्वारा अन्य खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन	20-02	10000.00	387.58	9712.42	
02	खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम	20-03	2000.00	64.75	1935.25	
03	राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन/ सहभागिता/ प्रशिक्षण/खेल सम्मान कार्यक्रम/पुरस्कार एवं खिलाड़ी कल्याण कोष हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को अनुदान	31-06	2000.00	45.18	1954.82	
04	खेल एवं जिम उपकरण	52-01	1000.00	77.99	922.01	
		योग	15000.00	575.50	14524.50	

10.8.26

05	पूर्व निर्मित स्टेडियम एवं अन्य संबंधित भवन का जीर्णोद्धार/मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत स्टेडियम का निर्माण/राजगीर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण तथा खेल भवन सह व्यायामशाला का निर्माण	53-01	34000.00	4850.45	29149.55	
06	भू-अर्जन	53-02	1000.00	0.00	1000.00	
		योग	35000.00	4850.45	30149.55	
		कुल योग	50000.00	5425.95	44674.05	
कुल व्यय प्रतिशत					10.83%	

(ख) आवंटन/व्यय प्रतिवेदन

- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-401 दिनांक-24.01.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में खेल विभाग, बिहार, पटना को कुल 500.00 करोड़ रुपये मात्र (अनुसूचित जाति- 80.00 एवं अनुसूचित जनजाति- 6.50 करोड़) राशि कर्णांकित किया गया है।
- वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-314, दिनांक-01.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत खेल विभाग, बिहार, पटना के विपत्र कोडवार कर्णांकित कुल उद्व्यय का अगस्त माह तक 66% राशि उपलब्ध कराया गया है
- आओ खेलो एवं विभाग द्वारा अन्य खेलकूद कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 97 करोड़ रुपये मात्र अबतक शेष है अतः उक्त विषय अन्तर्गत व्यय करने का विस्तृत कार्य-योजना तैयार किया जाय।
- मांग सं0-03 अन्तर्गत व्यय में प्रगति लाने हेतु भवन निर्माण विभाग/बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना पत्र प्रेषित किया जाय।

(2) लेखा

(क) सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन ससमय दिया जाय एवं वेतन पुर्जा मुद्रित कर संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों को देना सुनिश्चित किया जाय।

(क)

(ख) पर्यटन विभाग, बेल्ट्रॉन द्वारा संविदा पर कार्यरत चालक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/ कार्यालय परिचारी का अनुपस्थिति विवरणी प्रत्येक महीने के 25 तारीख को पर्यटन विभाग, बेल्ट्रॉन को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(ग) सभी विभागीय वाहनों के परिचालन हेतु ईंधन पर व्यय का भुगतान ससमय करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक महीने विभिन्न मदों में व्यय की विवरणी तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य का अनुश्रवण संयुक्त सचिव द्वारा किया जायेगा।

(घ) कार्यालय उपयोग हेतु आवश्यक सामग्रियों का क्रय समय पर सुनिश्चित करेंगे एवं भुगतान ससमय किया जाय।

(3) क्रियाशील संचिकाओं के संबंध में

सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि उनके अधीन जितने भी संचिकाएँ अति महत्वपूर्ण (यथा—नीति निर्माण, उच्चस्तरीय अनुमोदन अथवा विमर्श) से संबंधित है। वे सभी संचिकाएँ अधोहस्ताक्षरी के समझ अवलोकनार्थ हेतु एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

II. सामान्य प्राथमिकताएँ

(1) कार्यालय में उपस्थिति (Biometric Attendance)

सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से (Biometric Attendance) उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। बायोमैट्रिक उपस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन प्रशाखावार तैयार कर प्रत्येक बुधवार को प्रस्तुत करेंगे। बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले और समय से पहले कार्यालय छोड़कर जाने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर संचिका में उपस्थापित की जाय। पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा समय पर कार्यालय आने-जाने में सुधार नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध बिहार सेवा संहिता एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

④

✓

(2) लंबित पत्रों का प्रतिवेदन सचिव के समक्ष उपस्थापित करना

निर्धारित प्रपत्र में प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/नि०व०लि० का साप्ताहिक लंबित पत्रों का प्रतिवेदन संचिका में संधारित करते हुए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अवलोकनार्थ उपस्थापित की जाय।

सभी प्रशाखा पदाधिकारी बैठक के पूर्व लंबित पत्रों का प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

श्री रंजन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा प्रशाखा-2 से संबंधित लंबित पत्रों का प्रतिवेदन दिनांक-03.08.2026 (सोमवार) को उपस्थापित किया गया।

(3) निरीक्षण

(क) पटल निरीक्षण

प्रत्येक सप्ताह प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा अपने प्रशाखा के किसी एक सहा० प्रशाखा पदाधिकारी/नि०व०लि० एवं अवर सचिव द्वारा किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पटल निरीक्षण किया जायेगा एवं पटल निरीक्षण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष संचिका में उपस्थापित करें।

पटल निरीक्षण/प्रशाखा निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) की संचिका प्रत्येक सप्ताह उपस्थापित किये जाने का निदेश दिया गया।

श्री रंजन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी- 02 द्वारा श्री विकास शर्मा, वरीय सचिवालय सहायक का पटल निरीक्षण दिनांक-05.08.2026 (सोमवार) को किया गया।

(ख) प्रशाखा निरीक्षण

संयुक्त सचिव द्वारा प्रशाखा का निरीक्षण प्रत्येक माह में एक बार किया जाना है तथा प्रशाखा निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित संचिका में टिप्पणी अंकित करते हुए निदेशक के माध्यम से सचिव के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

अवर सचिव किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/निम्नवर्गीय लिपिक का निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कोषांग को बैठक के पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे।

✓

✓

(4) प्रशाखा की उपलब्धि

खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, राज्य खेल अकादमी, राजगीर, एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर का वर्ष-2026 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को समेकित करते हुए एक पुस्तिका तैयार किया जाना है। उक्त पुस्तिका का विमोचन दिनांक-29.08.2026 (शनिवार) को खेल दिवस के अवसर पर किया जाना है।

अतः निदेशित किया जाता है कि आप सभी प्रशाखा पदाधिकारी अपने-अपने प्रशाखा से संबंधित उपलब्धियों (फोटो सहित) को समेकित करते हुए श्रीमती श्रेया पुष्कर, सहायक निदेशक-सह-जनसम्पर्क पदाधिकारी को दिनांक- 13.08.2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

III. नवाचार

(1) ई-ऑफिस

दिनांक- 15.08.2026 से ई-ऑफिस के माध्यम से ही संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया, (अन्य वाह्य विभाग को जाने वाली संचिका को छोड़कर)। इस कार्य हेतु चयनित एजेंसी को तबतक भुगतान नहीं किया जाय जबतक उनके द्वारा कार्य पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाता है।

उक्त कार्य हेतु स्कैनर आदि सामग्री की आवश्यकता हो तो अविलम्ब क्रय की कार्रवाई की जाय तथा किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आईटी0 मैनेजर से सहायता प्राप्त करेंगे।

(2) टंकण कार्य

सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को टंकण कार्य एवं कम्प्यूटर से संबंधित कार्य का ज्ञान होना अनिवार्य है।

प्रत्येक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/ वरीय सचिवालय सहायक/ कनीय सचिवालय सहायक/ उच्चवर्गीय लिपिक को हिन्दी में टंकण की गति 35-40 शब्द प्रति मिनट प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय। तत्पश्चात् माह सितंबर के प्रथम सप्ताह से टंकण गति की जांच की जायेगी।

✓

✓

(3) सुलभ संगणक (Ready Reckoner)

सुलभ संगणक 3.0 को इस वर्ष तैयार किया जाना है। इस हेतु विभाग से निर्गत सभी नियमों को समेकित करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य का अनुश्रवण श्रेया पुष्कर, सहायक निदेशक—सह—जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, द्वारा किया जायेगा।

(4) iGOT Portal पर प्रशिक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये पत्र के आलोक में अनिवार्य विषयों पर सभी पदाधिकारी/कर्मि प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

उक्त के संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आई0टी0 प्रबंधक से सहायता प्राप्त करेंगे साथ ही आई0टी0 प्रबंधक को निदेशित किया जाता है कि अनिवार्य विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किये गये सभी पदाधिकारियों/कर्मियों का समेकित सूची अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(5) बैठक संबंधी निदेश

विभागीय प्रशाखावार की समीक्षात्मक बैठक में सचिव के अवकाश/व्यस्तता की स्थिति में निदेशक के द्वारा तथा निदेशक के अवकाश/व्यस्तता की स्थिति में संयुक्त सचिव के द्वारा किया जाय।

(IV) समस्या/सुझाव

प्रशाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा कोई भी समस्या एवं सुझाव है तो उसका उल्लेख किया जा सकता है। साथ ही उस समस्या का समाधान हेतु सुझाव भी दिया जायेगा।

आगामी बैठक दिनांक 20.08.2026 (गुरुवार) को पूर्वाह्न 10:30 बजे में आहूत की जायेगी।






(दीपक आनन्द)
सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था0-10(बैठक)-02/2026.31.00 पटना/दिनांक-13.8/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था0-10(बैठक)-02/2026.31.00 पटना/दिनांक-13.8/2026

प्रतिलिपि:- महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर/ निदेशक (खेल विभाग) /संयुक्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अवर सचिव/ सहायक निदेशक, (क्रीड़ा)/(युवा)/(योजना)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग/आई0टी0 मैनेजर/सभी संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं कर्मी, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13.8.26


सचिव।